मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–103/2024

1. इन्द्रजीत पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जगदीश पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — वादीगण

बनाम

1. निर्मला पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 1 एल.एन.पी. तरडवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विनोद कुमार पुत्र दीपचन्द जाति बिश्नोई निवासी 19 जैड चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. विष्णु पुत्र दीपचन्द जाति बिश्नोई निवासी 19 जैड चक 5 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. हेतराम पुत्र चुन्नीराम जाति बिश्नोई निवासी मॉडल टाउन, आदमपुर जिला हिसार।
5. शांतिदेवी पत्नी मानसिह पुत्री चुन्नीराम जाति बिश्नोई निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. राधादेवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी रायसिह नगर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. रूकमा देवी पुत्री चन्नीराम पत्नी जगदीश चन्द्र जाति बिश्नोई निवासी रायसिहनगर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. बनारसी पुत्री राजाराम पत्नी मोहरसिह जाति बिश्नोई निवासी चिड़ियागांधी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. गीता पुत्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. गोमती पुत्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — प्रतिवादीगण

11. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

दावा अन्तगत धारा 88 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:38:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक :– 12.08.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम

Scanned with CamScanner

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा पत्र में वर्णित चक नम्बर 19 जी.जी.आर. के खाता संख्या 71/66 में कुल 1.088 हैक्टर में भागवन्ती का 25/238 हिस्सा, तथा कमला का 25/238 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8, 10 प्रत्येक का 25/238 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 प्रत्येक का 9/238 हिस्सा तथा चक संख्या 1 एच.एम.एच. के खाता संख्या 147/139 में कुल 5.819 हैक्टर में से भागवन्ती का 6/161 हिस्सा व कमला का 6/161 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8, 10 प्रत्येक का 6/161 हिस्सा तथा चक 1 एच.एम.एच. के खाता संख्या 60/59 में कुल 1.265 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 8, 10 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा तथा चक नम्बर 19 जी.जी.आर. के खाता संख्या 73/2 में कुल 3.289 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादीगण संख्या 8, 10 प्रत्येक का 2/13 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 प्रत्येक का 2/39 हिस्सा आराजी का वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 1 एच.एम.एच. के खाता संख्या 147/139 भागवन्ती, कमला व प्रतिवादीगण संख्या 8, 10 का नाम कलमजन व चक नम्बर 19 जी.जी.आर. के खाता संख्या 71/66 में से कमला, भागवन्ती व प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 10 का नाम कलमजन व चक नम्बर 19 जी.जी. आर. के खाता संख्या 73/2 मे से प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 व 8 व 10 का नाम कलमजन व चक संख्या 1 एच.एम.एच. के खाता संख्या 60/59 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 8, 10 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:38:13 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner